न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– पवन कुमार (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :–13/2016

1. भालाराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद
2. त्रिलोकाराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद
3. मदनलाल पुत्र श्री हनुमानप्रसाद
4. साहबराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद
5. कृष्णलाल पुत्र श्री हनुमानप्रसाद
   अकवाम सुथार निवासीगण चक 9 एस.एस.डब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़
6. रजीराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद ———मृतक
   6/1 चावली पत्नी रजीराम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद
   6/2 शिव कुमार पुत्र रजीराम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद ———मृत्तक
   6/2/1 माया पत्नी शिव कुमार जाति सुथार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
   6/2/2 मोनिका पुत्री शिवकुमार
   6/2/3 अमित पुत्र शिव कुमार
   6/2/4 उदय पुत्र शिव कुमार ———नाबालिगान जरिए कुदरतीवली माता माया पत्नी शिव कुमार जाति सुथार निवासी कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
   6/3 मन्जू पुत्री रजीराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद
   6/4 सन्तोष पुत्री रजीराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद
   6/5 मनोहर पुत्र रजीराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद
   अकवाम सुथार सकनाए कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
7. सरबती पत्नी रामकिशन पुत्री हनुमानप्रसाद जाति सुथार निवासी कीकरवाली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़
8. मीरा देवी पत्नी तोलाराम पुत्री हनुमान प्रसाद जाति सुथार निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
9. काशीराम पुत्र श्री तुलसाराम जाति सुथार कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
10. हंसराज पुत्र श्री तुलसाराम जाति सुथार कोहला तहसील व जिला हनुमानगढ़
11. कमला देवी पुत्री तुलसाराम पत्नी काशीराम जाति सुथार निवासी रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
12. गीतादेवी पुत्री तुलसाराम पत्नी नरसीराम जाति सुथार निवासी महियांवाली
13. सिलोचना पुत्री तुलसाराम पत्नी इन्द्राज जाति सुथार निवासी लालगढ़ जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर

——— **वादीगण**

बनाम्

1. राजाराम पुत्र श्री शिवलाल जाति सुथार निवासी 10 ए.एस. हाल ढ़ाबा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. खेतपाल पुत्र श्री दौलाराम जाति सुथार निवासी ढाबा तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

———**प्रतिवादीगण**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–

1. श्री पवन कुमार चुघ एडवोकेट – वादीगण की ओर से
2. श्री सुखेदव सिंह एडवोकेट – प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से
3. श्री रमन चौधरी एडवोकेट – प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से

दिनांक 13.09.21

::निर्णय::

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि वाके चक 4 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 24/33 के किला नं0 1ता25 का 5.344 हैक्टर, मुरब्बा नं. 23/32 का किला नं0 1ता25 का 6.325 हैक्टर, मुरब्बा नं. 23/40 के किला नं. 11,20,21 के 0.682 हैक्टर कुल 12.851 हैक्टर रकबा नानु बेवा तुलसा, अर्जन, पन्ना, गिरधारी, मधाराम पिसरान गणेशा के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। जिसमें अर्जन वल्द गणेशा का 1/6 हिस्सा बनता है। जिसे वाद पत्र में आयंदा विवादित भूमि कहा जाऐगा। उक्त कृषि भूमि पूर्व में खसराजात में स्थित थी जो मौजा ढाबा का खसरा नम्बर 22 में 29 बीघा व मौजा नाहरांवाली का खसरा नम्बर 122 मे 9.04 बीघा वा खसरा नम्बर 123 में 17.05 बीघा नानु बेवा तुलसा, अर्जन, पन्ना, गिरधारी, मधाराम विसरान गणेशा के नाम से संयुक्त खाता मे दर्ज थी। तत्पश्चात उक्त खसराजात की भूमि की चक बंदी, किला बंदी राजस्व विभाग द्वारा की गई तो उक्त मौजा ढाबा का खसरा नम्बर 22 में 29 बीघा व मौजा नाहरॉवाली का खसरा नम्बर 122 में 9–04 बीघा वा खसरा नम्बर 123 में 17–05 बीघा वर्तमान में चक 4 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–24/33 के किला नम्बर 1ता25 का 5.344 हैक्टर, मुरब्बा नं.–23/32 का किला नम्बर 1ता25 का 6.325 हैक्टर मे पैमुद होकर राजस्व रिकॉर्ड में नानु वगेरा के नाम से दर्ज हुई। जिस संबंध में वादीगण द्वारा खसरा नम्बर 122 वा 123 की सूची नम्बर 4 की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन खसरा नम्बर 111 के बाद का रिकॉर्ड कटा फटा होने के कारण उक्त खसराजात की सूची नम्बर 4 की प्रतियां उपलब्ध नहीं होने के कारण रिकॉर्ड प्राप्त नही हो सका और वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया नकल का प्रार्थना पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया गया। नकल आवेदन पत्र व जमाबंदी की प्रताणित प्रति संलग्न है। खसरा नम्बर 22 की सूची नम्बर 4 उपलब्ध होने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी। पूर्व में मौजा ढाबा का खसरा नम्बर 22 में 29 बीघा व मौजा नाहरॉवाली का खसरा नम्बर 122 में 9–04 बीघा वा खसरा नम्बर 123 में 17–05 बीघा नानु बेवा तुलसा, अर्जन, पन्ना, गिरधारी, मधाराम पिसरान गणेशा के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज थी। लेकिन सभी यह हिस्सेदारान द्वारा आपसी सहमति से मौखिक सद्भाविक घरेलू समझौता के तहत सद्भाविक रूप से उक्त कुल भूमि को 6 हिस्सों में बांट लिया गया था तथा उसी अनुरूप ही अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अर्जन पुत्र गणेशा के स्वंय के कोई औलाद नही होने के कारण अर्जन पुत्र गणेशाराम अपनी सगी भतीजियों वादी संख्या 1ता8 की माता/दादी राधा देवी एवं वादीगण संख्या 9ता13 की माता तींजादेवी से अत्यधिक स्नेह प्रेम रखते थे और राधा देवी व तीजादेवी को अपनी पुत्रियों की भांति ही मानते थे तथा इनका पालन पोषण भी अर्जन द्वारा ही किया गया तथा और वे इन दोनों को अपनी बेटियों जैसा ही व्यवहार करते थे। इसी स्नेह व प्रेमवश अर्जन वल्द गणेशा द्वारा अपनी उक्त 1/6 हिस्सा की भूमि जो उसे मौखिक सद्भाविक घरेलू समझौता के तहत प्राप्त हुई थी वह अर्जन वल्द गणेशा द्वारा अपने जीवनकाल में ही राधा व तीजा को प्रदत कर दी तथा दिनांक 14.05.1959 को बरोबरू गवाहान अर्जन द्वारा राधा व तींजा के हक में तमलीकनामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया। तदुपंरात अर्जन वल्द गणेशा का देहान्त हो गया जिसके देहान्त उपरांत उनके द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत दस्तावेज तमलीकनामा के प्रकाश में उसके उक्त 1/6 हिस्सा की भूमि राधादेवी व तीजादेवी को अधिकार के तहत प्राप्त हो गई और मौखिक सद्भाविक घरेलू समझौता के तहत जो भूमि अर्जन वल्द गणेशा को प्राप्त हुई थी उसी अनुरूप राधादेवी व तींजादेवी काबिज काश्त हुई तदुपंरात खसराजात की चकबंदी व किलाबंदी होने के उपरांत जो भूमि अर्जन वल्द गणेशा को प्राप्त हुई थी। उसी अनुरूप राधादेवी व तींजादेवी काबिज काश्त हुई तदुपंरात खसराजात की चक बंदी व किलाबंदी होने के उपरांत जो भूमि पैमुद हुई उसमें चक 4 एनएम का मुरब्बा नं.–23/32 का किला नम्बर 1ता6 वा मुरब्बा नं.–23/40 के किला नम्बर 11,20,21 के 2.06 बीघा कुल 8–06

बीघा भूमि मौखिक सदभाविक घरेलू समझौता के तहत राधादेवी व तींजादेवी के हिस्सा में आई जो उक्त भूमि पर काबिज काश्त रही तथा राधादेवी के देहान्त उपरांत वादी सं.–1ता8 उसके विधिक वारिसान है व तींजादेवी के देहान्त उपरांत वादी सं.–9ता13 उसके विधिक वारिसान है राधादेवी व तींजादेवी के देहांत उपरांत उनके हिस्सा की उक्त भूमि वादीगण को विरासतन अधिकार एवं अधिपत्य वादीगण में निहित हो चुके है व वादीगण के अधिकार एवं अधिपत्य में उक्त भूमि चली आ रही है फलस्वरूप वादीगण पंजीकृत दस्तावेज तमलीकनामा के आधार पर विवादित कृषि भूमि के सम्बंध मे अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है। यहां यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि अर्जन वल्द गणेशा चूंकि लाऔलाद फौत हुआ था जिसके देहांत उपरांत प्रतिवादी सं.–1 द्वारा उक्त भूमि में उसके 1/6 हिस्सा की भूमि जो राधादेवी व तींजादेवी को जरिये पंजीकृत तमलीकानामा से प्राप्त कृषि भूमि को साजिशाना तरीके से हडपने के उद्देश्य से अर्जन की पत्नी जैता के नाम से इंतकाल दर्ज करवाया तत्पश्चात प्रतिवादी सं.–01 द्वारा जैता पत्नी अर्जन के नाम से मिलीभक्त कर एक तथाकथित वसीयत दिनांक–15.01.1991 की फर्जी एवं कूटरचित तैयार कर ली और तथ्यों को छुपाते हुऐ जैता पत्नी अर्जन के देहांत उपरांत उक्त तथाकथित फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं. –1 द्वारा अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी सं.–1 को यह बाखुबी जानकारी थी कि मृतक अर्जन द्वारा अपने जीवनकाल में राधादेवी व तींजादेवी के हक में दस्तावेज तमलीकनामा निष्पादित कर अपने हिस्सा की भूमि राधादेवी व तींजादेवी के हक में दस्तावेज तमलीकनामा निष्पादित कर अपने हिस्सा की भूमि राधादेवी व तींजादेवी को प्रदत कर दी थी और उन्हीं के ही अधिकार व अधिपत्य में थी इस प्रकार कथित वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं.–1 द्वारा अपने नाम से दर्ज करवाया गया इंतकाल विधि विरूद्ध व आरम्भ से प्रभावशून्य है। तदुपरांत अर्जनराम के लाऔलाद होने का वेजा फायदा उठाते हुए प्रतिवादी सं.–2 खेतपाल द्वारा जैता पत्नी अर्जन का दतकपुत्र बनकर प्रतिवादी सं.–1 द्वारा दर्ज करवाये गये उक्त इंतकाल को माननीय अतिरिक्त जिला कलैक्टर सूरतगढ द्वारा प्रतिवादी सं.–1 के पक्ष में हुऐ इंतकाल दिनांक–06.11.2001 को निरस्त फरमा दिया। जो कार्यवाही वर्तमान में माननीय राजस्व मंडल अजमेर में विचाराधीन है। निर्णय दिनांक 09.01.2002 की प्रति संलग्न वाद पत्र है। चूंकि मृतक अर्जनराम द्वारा निष्पादित एंव पंजीकृत तमलीकनामा के आधार पर राधा देवी व तींजा देवी को उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में समस्त अधिकार प्राप्त हो चुके थे, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1वा2 द्वारा उक्त विवादित भूमि को हड़पने के उदेश्य से तथाकथित कूटरचित दस्तावेज बनाकर उक्त रकबा के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाहीया कर रखी है जिनका ज्ञान होने के उपरान्त वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1वा2 को कई बार समझाया कि विवादित भूमि मृतक अर्जन द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा वादीगण की माता व दादी राधा देवी व तींजा देवी को प्रदत कर दी थी तथा राधा देवी व तींजा देवी की मृत्यु उपरान्त अब हम वादीगण को विवादित भूमि प्राप्त हो रही है जो निरन्तर हमारे अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है इसलिए आप उक्त पंजीकृत दस्तावेज तमलीकनामा के आधार पर विवादित भूमि रिकार्ड में अंकन करवाने में हमारा सहयोग करे तो प्रतिवादी संख्या 1वा2 निरन्तर ऐसा करने का आश्वासन देकर टालमटोल करते रहे बिलआखिकार आज से अरसा 15 दिन पूर्व पुनः वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1वा2 से मिलकर पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 वा 2 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये। प्रतिवादी संख्या 1 वा 2 विवादित भूमि को येन केन प्रकरेण फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेजों का सहारा लेकर हड़पने के प्रयासरत है और यदि प्रतिवादीगण अपने अनुचित मकसद में कामयाब हो गये तो वादीगण अपने हक अधिकारों से महरूम हो जायेगें जिससे वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी इसलिए वादीगण विवादित भूमि पर अपने अधिकार एवं अधिपत्य को बनाये रखने के लिए पंजीकृत दस्तावेज तमलीकनामा के आधार पर विवादित भूमि में से मृतक अर्जन वल्द गणेशा के 1/6 भूमि के संबंध में दर्ज राजाराम के नाम से दर्ज इंतकाल को आरम्भ से शून्य घोषित किया जाकर कथित इंतकाल से प्रतिवादी सं.–01 का राजानाम का नाम हटाया जाकर मृतक राधादेवी व तींजादेवी के

अधिकार के तहत वादीगण विवादित भूमि के 1/6 हिस्सा का स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने, उसका रिकार्ड में अंकन करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के विधिक अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सुखेदव सिंह सैंखों एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादी संख्या–01 को जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत जवाबदावा प्रस्तुत नही किये जाने के कारण प्रतिवादी सं.–01 का जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 की ओर अधिवक्ता श्री रमन चौधरी ने उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वादीगण में दर्ज अभिवचनों का समर्थन किया है, जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्ल्यू–01 भालाराम एवं पी. डब्ल्यू–2 काशीराम के सशपथ बयान न्यायालय में उपस्थित होकर दर्ज करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–01 जमाबंदी संवत 2069 चक 4 एलएम, प्रदर्श–02 जमाबंदी चक 4 एन एम मुरब्बा न. –23/40, प्रदर्श–03 प्रमाणित प्रतिलिपि खतौनी चक 4 एनएम मुरब्बा नं.–23/32, प्रदर्श–04 पर्चा खतौनी चक 4 एनएम मुरब्बा नं.–24/33, प्रदर्श–05 मूल फर्दखाता मौजा ढांबा, प्रदर्श–06 मौजा नाहरॉवाली, प्रदर्श–07 एवं 08 मूल तमलीकनामा बहक राधादेवी, तीजादेवी, प्रदर्श–09 प्रमाणित प्रतिलिपि खारजी नकल दरखास्त, प्रदर्श–10 माननीय न्यायालय ए.डी.एम., सूरतगढ आदेश दिनांक–09.01.2001 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–11 माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर के आदेश दिनांक–07.08.2007 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–12 माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर के आदेश दिनांक–06.12.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–13 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर के आदेश दिनांक–17.10.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–14 प्रथम सूचना संख्या–499/2001 विरूद्ध राजाराम की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–15 माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनपूगढ़ की फर्दकाम दिनांक 03.03.2006 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–16 अनिल कुमार गुप्ता हस्तलिपि विशेषज्ञ की एफ.एस. एल रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–17 अनिल कुमार गुप्ता के माननीय ए.सी.जे.एम कोर्ट अनूपगढ में हुये सशपथ साक्ष्य दिनांक–15.10.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–18 माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम के निर्णय दिनांक–04.11.2019 की प्रमाणित प्रतिलिपि, प्रदर्श–19 मृत्यु प्रमाण पत्र राधादेवी, प्रदर्श–20 वारिस प्रमाणपत्र राधादेवी, प्रदर्श–21 मृत्यु प्रमाण पत्र हनुमान प्रसाद, प्रदर्श–22 मृत्यु प्रमाण पत्र रजिराम, प्रदर्श–23 मृत्यु प्रमाण पत्र रजिराम, प्रदर्श–24 मृत्यु प्रमाण पत्र शिव कुमार प्रदर्श–25 परिवार राशनकार्ड शिवकुमार, प्रदर्श–26 मृत्यु प्रमाणपत्र तीजादेवी, प्रदर्श–27 वारिस प्रमाण पत्र तुलछाराम, प्रदर्श–28 एवं 29 पानी की पर्ची, प्रदर्श–30 से 32 लगायात राजस्व कर अदा करने की रसीदे, प्रदर्श–33 से 37 सिंचाई कर अदा करने की रसीदे पेश की।

वादीगण के विद्धान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि वाके चक 4 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं0 24/33 के किला नं. 1ता25 का 5.344 हैक्टर, मुरब्बा नं. 23/32 का किला नं0 1ता25 का 6.325 हैक्टर, मुरब्बा नं. 23/40 के किला नं. 11,20,21 के 0.682 हैक्टर कुल 12.851 हैक्टर रकबा नानु बेवा तुलसा, अर्जन, पन्ना, गिरधारी, मधाराम पिसरान गणेशा के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। जिसमें अर्जन वल्द गणेशा का 1/6 हिस्सा बनता है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में खसराजात में स्थित थी जो मौजा ढांबा का खसरा नम्बर 22 में 29 बीघा व मौजा नाहरांवाली का खसरा नम्बर 122 मे 9.04 बीघा वा खसरा नम्बर 123 मे 17.05 बीघा नानु बेवा तुलसा, अर्जन, पन्ना, गिरधारी, मधाराम विसरान गणेशा के नाम से संयुक्त खाता मे दर्ज थी। तत्पश्चात उक्त खसराजात की भूमि की चकबंदी, किलाबंदी राजस्व विभाग द्वारा की गई तो उक्त मौजा ढाबा का खसरा नम्बर 22 में 29 बीघा व मौजा नाहरॉवाली का खसरा नम्बर 122 में 9–04 बीघा वा खसरा नम्बर 123 में 17–05 बीघा वर्तमान में चक 4 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–24/33 के किला नम्बर 1ता25 का 5.344 हैक्टर, मुरब्बा नं.–23/32 का किला नम्बर 1ता25 का 6.325 हैकटर मे पैमुद होकर राजस्व रिकॉर्ड में नानु वगेरा के नाम से दर्ज हुई। पूर्व में मौजा ढाबा का खसरा नम्बर 22 में 29 बीघा व

मौजा नाहरॉवाली का खसरा नम्बर 122 में 9–04 बीघा वा खसरा नम्बर 123 में 17–05 बीघा नानु बेवा तुलसा, अर्जन, पन्ना गिरधारी, मधाराम पिसरान गणेशा के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज थी। लेकिन सभी यह हिस्सेदारान द्वारा आपसी सहमति से मौखिक सद्भाविक घरेलू समझौता के तहत सद्भाविक रूप से उक्त कुल भूमि को 6 हिस्सों में बांट लिया गया था तथा उसी अनुरूप ही अपने अपने हिस्सा में आई भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। अर्जन पुत्र गणेशा के स्वंय के कोई औलाद नही होने के कारण अर्जन पुत्र गणेशाराम अपनी सगी भतीजीयों वादी संख्या 1ता8 की माता/दादी राधा देवी एवं प्रार्थी संख्या 9ता13 की माता तीजादेवी से अत्यधिक स्नेह प्रेम रखते थे और राधा देवी व तीजादेवी को अपनी पुत्रियों की भांति ही मानते थे तथा इनका पालन पोषण भी अर्जन द्वारा ही किया गया तथा और वे इन दोनों को अपनी बेटियों जैसा ही व्यवहार करते थे। इसी स्नेह व प्रेमवश अर्जन वल्द गणेशा द्वारा अपनी उक्त 1/6 हिस्सा की भूमि जो उसे मौखिक सद्भाविक घरेलू समझौता के तहत प्राप्त हुई थी वह अर्जन वल्द गणेशा द्वारा अपने जीवनकाल में ही राधा व तीजां को प्रदत कर दी तथा दिनांक 14.05.1959 को बरोबरू गवाहान अर्जन द्वारा राधा व तीजा के हक में तमलीकनामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करवाया गया। तदुपंरात अर्जन वल्द गणेशा का देहान्त हो गया जिसके देहान्त उपरांत उनके द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत दस्तावेज तमलीकनामा के प्रकाश में उसके उक्त 1/6 हिस्सा की भूमि राधादेवी व तीजादेवी को अधिकार के तहत प्राप्त हो गई और मौखिक सद्भाविक घरेलू समझौता के तहत जो भूमि अर्जन वल्द गणेशा को प्राप्त हुई थी उसी अनुरूप राधादेवी व तींजादेवी काबिज काश्त हुई तदुपंरात खसराजात की चकबंदी व किलाबंदी होने के उपरांत जो भूमि अर्जन वल्द गणेशा को प्राप्त हुई थी। उसी अनुरूप राधादेवी व तींजादेवी काबिज काश्त हुई तदुपंरात खसराजात की चक बंदी व किलाबंदी होने के उपरांत जो भूमि पैमुद हुई उसमें चक 4 एनएम का मुरब्बा नं.–23/32 का किला नम्बर 1ता6 वा मुरब्बा नं.–23/40 के किला नम्बर 11,20,21 के 2.06 बीघा कुल 8–06 बीघा भूमि मौखिक सद्भाविक घरेलू समझौता के तहत राधादेवी व तींजादेवी के हिस्सा में आई जो उक्त भूमि पर काबिज काश्त रही तथा राधादेवी के देहान्त उपरांत वादी सं.–1ता8 उसके विधिक वारिसान है व तींजादेवी के देहान्त उपरांत वादी सं.–9ता13 उसके विधिक वारिसान है राधादेवी व तींजादेवी के देहांत उपरांत उनके हिस्सा की उक्त भूमि वादीगण को विरासतन अधिकार एवं अधिपत्य वादीगण में निहित हो चुके है व वादीगण के अधिकार एवं अधिपत्य में उक्त भूमि चली आ रही है फलस्वरूप वादीगण पंजीकृत दस्तावेज तमलीकनामा के आधार पर विवादित कृषि भूमि के सम्बंध मे अपने अधिकारों की घोषणा करवाने का विधिक अधिकारी है।

चूंकि अर्जन वल्द गणेशा चूंकि लाऔलाद फौत हुआ था जिसके देहांत उपरांत प्रतिवादी सं. –1 द्वारा उक्त भूमि में उसके 1/6 हिस्सा की भूमि जो राधादेवी व तींजादेवी को जरिये पंजीकृत तमलीकानामा से प्राप्त कृषि भूमि को साजिशाना तरीके से हडपने के उद्देश्य से अर्जन की पत्नी जैता के नाम से इंतकाल दर्ज करवाया तत्पश्चात प्रतिवादी सं.–01 द्वारा जैता पत्नी अर्जन के नाम से मिलीभक्त कर एक तथाकथित वसीयत दिनांक–15.01.1991 की फर्जी एवं कूटरचित तैयार कर ली और तथ्यों को छुपाते हुऐ जैता पत्नी अर्जन के देंहात उपरांत उक्त तथाकथित फर्जी व कूटरचित वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं.–1 द्वारा अपने नाम से इंतकाल दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी सं.–1 को यह बाखुबी जानकारी थी कि मृतक अर्जन द्वारा अपने जीवनकाल में राधादेवी व तींजादेवी के हक में दस्तावेज तमलीकनामा निष्पादित कर अपने हिस्सा की भूमि राधादेवी व तींजादेवी के हक में दस्तावेज तमलीकनामा निष्पादित कर अपने हिस्सा की भूमि राधादेवी व तींजादेवी को प्रदत कर दी थी और उन्हीं के ही अधिकार व अधिपत्य में थी इस प्रकार कथित वसीयत के आधार पर प्रतिवादी सं.–1 द्वारा अपने नाम से दर्ज करवाया गया इंतकाल विधि विरूद्ध व आरम्भ से प्रभावशुन्य है। तदुपरांत अर्जनराम के लाऔलाद होने का वेजा फायदा उठाते हुए प्रतिवादी सं.–2 खेतपाल द्वारा जैता पत्नी अर्जन का दतकपुत्र बनकर प्रतिवादी सं.–1 द्वारा दर्ज करवाये गये उक्त इंतकाल को माननीय अतिरिक्त जिला कलैक्टर सूरतगढ द्वारा प्रतिवादी सं.–1 के पक्ष में हुऐ इंतकाल दिनांक–06.11.2001 को निरस्त फरमा दिया। चूंकि मृतक अर्जनराम द्वारा निष्पादित एंव पंजीकृत तमलीकनामा के आधार पर राधा देवी व तींजा देवी को

उक्त विवादित भूमि के सम्बन्ध में समस्त अधिकार प्राप्त हो चुके थे लेकिन अप्रार्थी संख्या 1वा2 द्वारा उक्त विवादित भूमि को हडपने के उदेश्य से तथाकथित कूटरचित दस्तावेज बनाकर उक्त रकबा के सम्बन्ध मे विभिन्न न्यायालयों में कार्यवाहीया कर रखी है जिनका ज्ञान होने के उपरान्त वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1वा2 को कई बार समझाया कि विवादित भूमि मृतक अर्जन द्वारा पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा प्रार्थीगण की माता व दादी राधा देवी व तींजा देवी को प्रदत कर दी थी तथा राधा देवी व तींजा देवी की मृत्यु उपरान्त अब हम वादीगण को विवादित भूमि प्राप्त हो रही है जो निरन्तर हमारे अधिकार व अधिपत्य में चली आ रही है। वादीगण मूल आवंटी अर्जनराम के पंजीबद्ध तकलीकनामा के आधार पर उक्त कृषि भूमि के कृषक घोषित होने के अधिकारी है।

वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1. 2010 (1) आर.आर.टी. पेज नं.–232 चन्द्रकौर एंव अन्य बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एवं अन्य
'तमलीकनामा दान विलेख है न की पारिवारिक समझौता'
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–90

'जहां कोई दस्तावेज जिसका तीस वर्ष पुराना होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है ऐसा किसी अभिरक्षा में से जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश किया है वहां न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर व हर अन्य भाग जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा के वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी, जिसके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रताणित होना तात्पर्यित है।'

इसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1980 इलाहाबाद पेज 394, ए.आई.आर. 1978 कलकता पेज 394

3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम–धारा 68

"Provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document not being a will, witch has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act] unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied."

वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में प्रस्तुत उच्चतर न्यायालयों के न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाद की कृषि भूमि मे अपना 1/6 हिस्सा जो उसे घरेलू समझौता के तहत प्राप्त हुई थी। उक्त कृषि भूमि का अपनी सगी भतीजियों राधा एवं तींजा को जरिए पंजीकृत तकलीकनामा वादीगण की माता राधा एवं तींजा को प्रदत कर दी थी। तभी से उक्त कृषि भूमि पर पंजीकृत तकलीकनामा के आधार पर वादीगण की माता राधा व तींजा के अधिकार एवं अधिपत्य मे प्राप्त हुई थी। वादीगण की माता राधा एवं तींजा की मृत्यु उपरांत उक्त कृषि भूमि के वादीगण के अधिकार एवं अधिपत्य में बनी हुई है तथा वादीगण के कब्जा काश्त में है। वादीगण के उक्त तथ्य की पृष्टि वादी सं.–02 खेतपाल ने इकबाल दावा पेश कर की है कि अर्जनराम पुत्र गणेशाराम अपने उक्त कृषि भूमि का तकलीकनामा वादीगण की माता राधादेवी एवं तींजादेवी के नाम से दिनांक 14.05.1959 को रोबरूगवाहान निस्तादित कर पंजीकृत करवाया था तभी से उक्त कृषि भूमि पर वादीगण की माता एवं माता के देहांत उपरांत वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर शांति पूर्व चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या–1 खेतपाल को जवाब दावा पेश करने हेतु समचित अवसर प्रदान किये गये परंतु प्रतिवादी संख्या–1 को अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाबदावा पेश करने में असफल रहने पर दिनांक 11.11.2019 को प्रतिवादी सं.–1 के जवाब दावा पेश करने के अवसर को बंद किया गया। जो आदेश अंतिम हो चुका है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा भी वादीगण

की माता के पक्ष में मूल खातेदार अर्जन पुत्र गणेशाराम के द्वारा निस्पादित एवं पंजीकृत तकलीकनामा दिनांक–14.05.1959 के बारे मे अभिवचन पेश कर कोई विरोध प्रगट नही किया हैं तथा ना ही उक्त पंजीकृत बैयनामा को अपने अभिवचनों द्वारा निष्पादन का प्रत्याख्यान किया गया है।

चूंकि वादीगण की माता राधादेवी एवं तींजा देवी के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत बैयनामा अर्सा 60 वर्ष पूर्व निष्पादित एवं पंजीकृत दस्तावेज है उक्त दस्तावेज के बारे में ना तो अपने जीवन काल में निष्पादनकर्ता अर्जनराम पुत्र गणेशाराम के द्वारा तथा ना ही उक्त दस्तावेज के बारे में वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार प्रतिवादी संख्या–01 राजाराम द्वारा अपने अभिवचनों द्वारा प्रत्याख्यान किया गया है जो वादीगण उक्त कृषि भूमि पर अपनी माता राधादेवी एवं तींजादेवी के पक्ष में निष्पादित एंव पंजीकृत तकलीकनामा(दानपात्र) दिनांक 14.05.1959 के आधार पर विवादग्रस्त कृषि भूमि पर दीर्धकाल से कब्जा बनाये हुए हैं तथा उक्त तकलीकनामा वादीगण ने अपनी अभिरक्षा में से पेश किया है। अतः साक्ष्य अधिनियमों के प्रावधानों के तहत न्यायालय यह उपधारित करता है कि उक्त दस्तावेज तकलीकनामा दिनांक 14.05.1959 उक्त कृषि भूमि के मूल खातेदार अर्जन पुत्र गणेशाराम द्वारा सम्यक रूप से वादीगण की माता राधादेवी एवं तींजादेवी के पक्ष में निष्पादित कर अनुप्रमाणित करवाया है।

जहां तक प्रतिवादी संख्या–01 राजाराम के पक्ष में उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में अर्जनराम पुत्र गणेशाराम की वसीयत दिनांक 15.01.1999 के आधार पर अंकन किया गया है प्रतिवादी संख्या–01 राजाराम के द्वारा उक्त वाद पत्र ना तो अपने अभिवचन पेश किये है ना ही उक्त अपने पक्ष में निष्पादित वसीयत न्यायालय के समक्ष पेश की है। प्रतिवादी संख्या–01 के पक्ष में उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा दिनांक–06.11.2001 को दिये गये नामांतरण के आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या–02 खेतपाल द्वारा अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट के तहत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ में अपील प्रस्तुत करने पर मान्य न्यायालय के द्वारा अपने आदेश दिनांक 09.01.2002 को प्रतिवादी संख्या–01राजाराम के पक्ष में हुये नामांतरण आदेश दिनांक 06.11.2001 को निरस्त कर दिया गया। माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.01.2001 के विरूद्ध प्रतिवादी सं.–01 राजाराम द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर में अपील प्रस्तुत की गई प्रतिवादी सं.–01 राजाराम द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.08.2007 खारिज फरमा दी गई। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर के विरूद्ध 07.08.2007 के विरूद्ध प्रतिवादी सं.–01 राजाराम के द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मंडल के द्वारा प्रतिवादी संख्या–01 की उक्त निगरानी भी दिनांक 06.12.2018 को निरस्त कर दी गई। प्रतिवादी सं.–01 के द्वारा माननीय राजस्व मंडल के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट पिटीशन प्रस्तुत की गई। उक्त सिविल रिट पिटीशन के दौरान प्रतिवादी सं.–1 एवं प्रतिवादी सं.–2 के मध्य राजीनामा होने के कारण अपनी उक्त रिट पिटीशन दिनांक–17.10.2019 को प्रतिवादी सं.–01 के द्वारा प्रत्याहरित कर ली गई। इस प्रकार माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 09.01.2002 आज भी प्रभाव में है जिसकी रूह से तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ के द्वारा दिनांक–06.11.2001 को नामांतरण आदेश को निरस्त करने के आदेश दिये गये थे।

अतः उक्त विधिक प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार न्याायलय की राय में वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर मृतक अर्जन राम पुत्र गणेशाराम के द्वारा निष्पादित एवं पंजीकृत तकलीकानामा दिनांक 04.05.1956 की रूह से मृतक राधादेवी एवं तींजादेवी के अधिकार

के तहत वादीगण को विवादित भूमि 1/6 हिस्से की कृषि भूमि वाके चक 4 एन.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–23/32 के किला नम्बर 1ता6 वा मुरब्बा नं.–23/40 के किला नं. –11,20,21 के कुल 2.200 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं तदनुसार प्रतिवादी सं.–03 को चक 4 एनएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं. 24/33 के किला नं0 1ता25 का 5.344 हैक्टर, मुरब्बा नं. 23/32 का किला नं0 1ता25 का 6.325 हैक्टर, मुरब्बा नं. 23/40 के किला नं. 11,20,21 के 0.682 हैक्टर कुल 12.851 हैक्टर से संबद्ध खाते में अंकित प्रतिवादी संख्या–01 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने एवं चक 4 एन.एम. तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.–23/32 के किला नम्बर 1ता6 वा मुरब्बा नं.–23/40 के किला नं.–11,20,21 के कुल 2.200 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदार कृषक घोषित वादीगण भालाराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 1/16 हिस्सा, त्रिलोकाराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 1/16 हिस्सा, मदनलाल पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 1/16 हिस्सा, साहबराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 1/16 हिस्सा, कृष्णलाल पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 1/16 हिस्सा, चावली पत्नी रजीराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 1/80 हिस्सा, माया पत्नी शिव कुमार, मोनिका, अमित, उदय पि. शिव कुमार 1/80 ब.हि.ब., मन्जू पुत्री रजीराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 1/80 हिस्सा, सन्तोष पुत्री रजीराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 1/80 हिस्सा, मनोहर पुत्र रजीराम पुत्र श्री हनुमानप्रसाद 1/80 हिस्सा, सरबती पत्नी रामकिशन पुत्री हनुमानप्रसाद 1/16 हिस्सा, मीरा देवी पत्नी तोलाराम पुत्री हनुमान प्रसाद 1/16 हिस्सा, काशीराम, हंसराज, कमला देवी, गीतादेवी, सिलोचना पि. तुलसाराम 1/2 ब.हि.ब., के नाम उक्त भूमि से संबद्ध राजस्व रिकॉर्ड में उपर्युक्त हिस्सानुरूप अंकित करने बाबत आदेशित किया जाता है। साथ ही प्रतिवादी सं.–01 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उक्त कृषि भूमि पर वादीगण के कब्जा काश्त में, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से तथा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार अन्यत्र स्थानांतरित करने से व्यादेशित रहें। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक **27.08.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

(पवन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़